न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **117/10 (वाद)**

दर्ज दिनांक : 13.04.10 **निर्णय दिनांक : 06.10.17**

1. श्री शंकरपुरी पिता नाथूपुरी गुसाई निवासी मावली तह. मावली। **(मृतक)**

1/1 श्री लक्ष्मणपुरी पिता शंकरपुरी गुसाई निवासी मावली तह. मावली।

1/2 श्री इन्दरपुरी पिता शंकरपुरी गुसाई निवासी मावली तह. मावली।

1/3 श्रीमती कमला पुत्री शंकरपुरी गुसाई पत्नी रूपपुरी गुसाई निवासी मावली तह. मावली।

1/4 श्रीमती मोहनी पुत्री शंकरपुरी पत्नी रामगिरी गुसाई निवासी सरेमगरी तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

1/5 श्रीमती भूरी पुत्री शंकरपुरी पत्नी बाबूगिरी गुसाई निवासी सरेमगरी तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

1/6 श्रीमती श्यामु पुत्री शंकरपुरी पत्नी धुलगिरी गुसाई निवासी खमनोर की खेडी तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

1/7 श्रीमती चांदीबाई पत्नी शंकरपुरी गुसाई निवासी मावली तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री जीवनपुरी पिता नाथुपुरी गुसाई निवासी मावली तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 06.10.2017

1. वाद वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है– मौजा मावली पटवार हल्का मावली तह. मावली जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 2499, 4099/579, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587 कुल किता 11 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा भूमिया मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 1 जो दोनो भाई–भाई हैं की सामलाती

खातेदारी अधिकार की है। राजस्व रेकार्ड में हम दोनों के नाम सामलाती खाते में दर्ज हैं। दोनो ही मौके पर प्रतिवर्ष बाध्य बंटवाडे से काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहे हैं और दोनो ही मिलकर लगान सरकार को अदा कर रहे है प्रमाणित प्रतिलिपीया खाता चालू जमाबन्दी नम्बर 155 – 997 वर्ष सम्वत् 2044 से 2047 प्रस्तुत हैं।

2. भूमियां सामलाती खाते पर होने से काश्त करने लगान आदि जमा कराने भूमियों का विकास करने ऋण लेने आदि प्राप्त करने में अनेक कठिनाई आती हैं। अतः मै वादी अलावा चाह के अन्य भूमियों का मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य बराबर – बराबर हक से बंटवाडा करा प्रत्येक की भूमिया प्रत्येक के नाम स्वतंत्र रेकर्ड पर दर्ज कराने तथा स्वतंत्र कब्जे काश्त में रखने का अधिकारी हूं।
3. उक्त भूमियों का रेकार्ड पर बंटवाडा करा प्रत्येक की भूमिया प्रत्येक के स्वतंत्र कब्जे काश्त में रखते हुए रेकार्ड पर प्रत्येक के नाम स्वतंत्र दर्ज कराने के लिए मुझ वादी ने प्रतिवादी को कई बार कहा किन्तु वो कोई बात नहीं कर रहें हैं अतः बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत आखरी बार कहने की तारीख 28.2.1991 को पैदा हुई।
4. प्रार्थना वादी विरूद्व प्रतिवादीगण यह हैं कि कुंवा चाह नम्बर 583 रकबा 6 बिस्वा को बदस्तुर सामलाती रखाया जाकर शेष भूमिया आराजीयात खसरा नम्बर 2499, 4099/579, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587 किता 10 रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा मौजा मावली का मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य बराबर – बराबर हकसे बंटवाडा कराया जाकर प्रत्येक की भूमियां प्रत्येक के स्वतंत्र कब्ज काश्त व राजस्व रेकार्ड पर प्रत्येक के नाम स्वतंत्र दर्ज कराये जाने की डिक्री वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सहित फरमाई जावें। खरचा वाद दिलाया जावें।
5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीं सं. 1 द्वारा जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात का मौजा मावली तह. मावली में स्थित होना स्वीकार है परन्तु वादी का यह कथन अस्वीकार है, वास्तविक यह है कि श्रीमती राधीबाई ने गांव सिसवी के निवासी श्री देवगिरी जी के साथ विवाह किया था और देवगिरीजी के नुत्फे से वादी शंकरपुरी का जन्म हुआ था इसलिए शंकरपुरी श्री देवगिरीजी की सतांन हैं फिर श्रीमती राधीबाई खुद अपने पुर्व पति को छोडकर प्रतिवादी सं. 1 के पिता श्री नाथुपुरी जी के साथ नाता कर लिया था और वादी नाथुपुरी जी की जायन्दा संतान नहीं हैं बल्कि नाथुपुरीजी का एकमात्र

वारिस प्रतिवादी जीवनपुरी हैं। वादी बाखडा बेटा शंकरपुरी भी अपनी मां के पास गावं मावली आकर रहने लग गया उस समय प्रतिवादी सं. 1 नाबालिग था। प्रतिवादी सं. 1 की नाबालिग अवस्था की नाजायज फायदा उठाकर व अपने आपको नाथुपुरी का जायन्दा लडका बताकर राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादी ने भी अपने नाम का अंकन करवा लिया जो गलत हैं। शेष कथन अस्वीकार हैं।

6. वाद पत्र की धारा सं. 2 जिस तरह से वादी ने लिखी हैं वह अस्वीकार होकर प्रतिवादी राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजीयात शामिल में अवश्य अंकित हैं परन्तु वादी को उसके संयुक्त रूप से काश्त करने की अनुज्ञा प्रतिवादी सं. 1 ने उसकी नाबालिग अवस्था में मदद करने के कारण दे रखी थी। वादी वादग्रस्त भूमि का वास्तविकता में खातेदार काश्तकार नहीं हैं और वादी नाथुपुरी का जायन्दा लडका नहीं होने से वादग्रस्त भूमि में उसका किसी तरह कोई हक व अधिकार नहीं बनता हैं और वादग्रस्त भूमि को खाते कराने का अधिकारी भी नहीं है तो वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा कराने का हक पैदा होने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं। वादी शंकरपुरी का स्वर्गवास हो चुका हैं जिससे वादी बंटवारा करा स्वतंत्र रूप से अपने नाम कराने के भी अधिकारी नहीं हैं ''कि स्वर्गीय नाथुपरी जी ने अपनी वाद पत्र की धारा सं. 1 में वर्णित आराजीयात इकरारनामा दिनांक 19.10.1953 को सम्पादित किया गया उसके द्वारा स्व. शंकरजी को कोई भी पैतृक सम्पति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं कर सकते थे और वो हस्तान्तरित प्रतिवादी सं. 1 के मुकाबले में शुन्य (वोईड) हैं।''

7. वाद पत्र की चरण सं. 3 का कथन हैं कि प्रतिवादी सं. 1 ने उपर वर्णित कारणों के आधार पर कहा कि वादग्रस्त भूमि में वादी का हक व अधिकार नहीं होने से वादी बंटवारा कराने का भी अधिकारी नहीं है और न ही वादी को वाद हेतु ही उत्पन्न होता हैं।

8. प्रतिवादी द्वारा विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 वाद पत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित आराजीयात का अकेला नाथुपुरी का जायन्दा वारिस है व राजस्व अभिलेख में अपने नाम खातेदारी हक से घोषित कराने का अधिकारी हैं। वादी का नाम राजस्व अभिलेख में अंकन वादी शंकरपुरी ने प्रतिवादी सं. एक की नाबालिग अवस्था का नाजायज लाभ उठाकर कराया हैं उसे निरस्त कराने की घोषणा कराई जावें। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे काश्त में हैं। प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी घोषणा हेतु मूल्यांकन 1000/–

रूपया पर कायम कर उचित रूपये की कोर्टफीस 2/– रूपयें के स्टाम्प पर पेश है। काउन्टर क्लेम अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थना हैं कि वादी का वाद बंटवाडे को निरस्त फरमा वाद पत्र की चरण संख्या एक के नाम खातेदारी हक से घोषित कराने की डिक्री प्रतिवादी सं. एक के पक्ष में पारित फरमाई जावें व अन्य राहत भी न्यायालय प्रतिवादी के पक्ष में उचित समझे प्रदान कराई जावें।

9. वादी ने उक्त काउन्टर क्लेम का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण में वाद में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकियात कायम की गई :–

(1) क्या वादी कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात के लिये प्रतिवादी न. 1 के साथ बराबर–बराबर हक में बंटवाडा कराये जाने और अपने हिस्से की आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में स्वंय की आराजीयात को राजस्व रेकार्ड में स्वंय अपने नाम कराये जाने का अधिकारी है।

.....बजिम्मे वादीगण

(2) क्या प्रतिवादी वाद की कलम सं. 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में अपने हिस्से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

.....बजिम्मे प्रतिवादी

(3) दादरसी

10. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 श्रीमती चांदीबाई पत्नी शंकरपुरी, पीडब्ल्यू 2 श्री अल्लानुर पिता घासी खां पेश किये। प्रतिवादी की ओर से शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्री जीवनपुरी पिता नाथूपुरी , डीडब्ल्यू 2 श्री रूपलाल पिता सवा डांगी, डीडब्ल्यू 3 श्री बाबरू पिता नन्दा भील पेश किये गये।

11. प्रकरण में वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, जमाबन्दी नकल सम्वत 2044–2047 प्रदर्श 2 एवं स्टाम्प लिखापढी श्री नाथूपुरी गोस्वामी प्रदर्श 3ए प्रस्तुत किये । प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज प्रतिज्ञापत्र डी 1 प्रस्तुत किये।

12. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में दोनो ही विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रकरण में लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज कर वादी का वाद स्वीकार करते हुए भूमि का बंटवाडा किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी लिखित बहस में दस्तावेज एवं नजीर *RLW 2005(1)RJ page 503, RLW 2009(2) RJ page 912, RRT 2003 page 633, RRT 2003(1) page 23* प्रस्तुत कर वादी गेलड पुत्र होने से उसका कोई अधिकार नहीं बनता है अतः बंटवाडा कराने का

अधिकारी नहीं है, वाद खारिज कर काउण्टर क्लेम स्वीकार कर सम्पूर्ण भूमि पर खातेदारी अधिकार घोषित कराने का निवेदन किया।

13. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड, तथ्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरो का सदभावनापूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम यह तय करना है कि क्या वादीगण तनकी संख्या 1 को अपने पक्ष में साबित कर पाये है? – तनकी संख्या 1 निम्न प्रकार है जो जिम्में वादीगण थी।

तनकी सं. 1 क्या वादी कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात के लिये प्रतिवादी न. 1 के साथ बराबर–बराबर हक में बंटवाडा कराये जाने और अपने हिस्से की आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में स्वंय की आराजीयात को राजस्व रेकार्ड में स्वंय अपने नाम कराये जाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2064–2067 में वादग्रस्त आराजियात लक्ष्मण पुरी ,इन्द्रपुरी, कमला , मोवनी, भुरी, श्यामुबाई पिता शंकरपुरी, चांदीबाई बेवा शंकरपुरी 1/2 जीवनपुरी पिता नाथुपुरी के 1/2 हि.ब.सा.देह खातेदार के रूप में दर्ज है। वाद पत्र के अवलोकन से वादी द्वारा भूमि अपने नाम पर दर्ज होने से भूमि में बंटवाडा कराने हेतु विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि जवाब दावे में प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब में काउण्टर वाद प्रस्तुत कर घोषणा की दाद चाही गई है। तथा जमाबन्दी में वादी के नाम खातेदारी दर्ज हुई है उसको गलत मानते हुए चैंलेज किया है। वाद पत्र एवं दस्तावेज, बयान के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि वादी शंकरपुरी नाथुपुरी का जायंदा पुत्र नहीं होकर उसका गैलड पुत्र (नाथुपुरी की पत्नी राधाबाई के पूर्व पति देवगिरी निवासी शिशवी के नुत्फे से जन्म हुआ है जिसे साथ लाई है) है, जो वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह पीडब्ल्यू 1 चांदीबाई ने स्वीकार किया है कि शंकरपुरी नाथुपुरी का जायंदा पुत्र नहीं होकर गैलड पुत्र था। वाद में प्रदर्श 3 ए में नाथुपुरी की लिखापढी प्रस्तुत की उस अधार पर भी शंकरपुरी नाथुपुरी का जायंदा पुत्र नहीं होकर गैलड पुत्र है तथा 19.10.1953 के लिखा पढी के आधार पर नाथुपुरी की भूमि पर शंकरपुरी वादग्रस्त भूमि में खातेदार है। इसलिये बंटवाडा कराना चाहता है।

निष्कर्षः– साक्ष्य, दस्तावेज, बयान के आधार पर यह स्पष्ट है कि शंकरपुरी नाथुपुरी की जायंदा संतान नहीं होकर गैलड संतान थी जिसे वादीगण एवं गवाहो ने स्वीकार किया है, एवं लिखापढी 19.10.1953 के

आधार पर नाथुपुरी की भूमि में अपना हक जताया है, लेकिन वादी ने जमाबन्दी में अपने नाम के आधार पर मात्र बंटवाडे का वाद प्रस्तुत किया है। जबकि प्रतिवादी ने अपने जवाब में उस नाम को गलत बताते हुए उस दर्ज एन्ट्री को गलत बताया है, जबकि वादी द्वारा किसी भी दस्तावेज के आधार पर या किसी भी प्रकार से उक्त वादग्रस्त भूमि में घोषणा नहीं चाही है, एवं घोषणा का वाद प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज होने से तथा जमाबन्दी की उस प्रविष्टि को चैलेन्ज करने पर उक्त प्रविष्टि संदिग्ध होने पर सक्षम न्यायालय से खातेदारी घोषणा नहीं दी जाती तब तक विभाजन कराने का अधिकारी नहीं माना जाता है। इसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा अपने बयान डीडब्ल्यू 1, 2 से व वादी स्वंय के बयान डीडब्ल्यू 1 से यह सिद्ध है कि शंकरपुरी नाथुपुरी की जांयदा संतान नहीं थी। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत गैलड पुत्र को पिता की भूमि पर अधिकार प्राप्त नहीं होते है। जंहा तक कब्जे का प्रश्न है दोनो गवाहो के आधार पर वादी व प्रतिवादी यह सिद्ध नहीं करा पाये कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी में से किसका कितनी भूमि पर कब्जा है। इस प्रकार वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर खातेदारी घोषणा का क्लेम नहीं चाहने तथा गैलड पुत्र होने से वादग्रस्त भूमि पर कानूनन अधिकार नहीं होने से तथा कब्जे की अस्पष्टता के कारण मात्र जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज के आधार पर वादी विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है। यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

14. **तनकी न. 2** क्या प्रतिवादी वाद की कलम सं. 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात को राजस्व रिकार्ड में अपने हिस्से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

इस तनकी को प्रतिवादी को सिद्ध करना था वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह बयान पीडब्ल्यू 1 व दस्तावेज जमाबदी प्रदर्श 1 व 2 एवं लिखापढी प्रदर्श 3ए है। प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत गवाह डीब्ल्यू 1, 2, 3 के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी शंकरपुरी नाथुपुरी का जायंदा पुत्र नहीं होकर गैलड पुत्र है। नियमानुसार हिन्दूउत्तराधिकार अधिनियम में गैलड पुत्र को हक नही है। इसके विपरित प्रतिवादी जीवनपुरी नाथुपुरी का जायंदा पुत्र है, तथा उक्त दस्तावेजात एवं साक्ष्यों के आधार पर भी उक्त भूमि शंकरपुरी व जीवनपुरी के स्वअर्जित भूमि नहीं होकर पैतृक होकर अपने पिता नाथुपुरी से प्राप्त होना स्पष्ट हैं अतः वादगस्त भूमि पैतृक भूमि होने से प्रतिवादी सं. 1 नाथुपुरी की जायंदा संतान होने से उसका हक बनता है। इसके विपरित वादी वादग्रस्त भूमि में ईकरार नामे के आधार पर अपने आपको खातेदार मान रहा है लेकिन जब तक वादी सक्षम न्यायालय से इकरारनामा के आधार पर घोषणा नहीं करा दी जाती तब तक वादी के नाम भूमि का हस्तान्तरण प्रतिवादी के मुकाबले शून्य है। इस प्रकार प्रतिवादी उक्त पैतृक भूमि पर

नाथुपुरी की जायंदा संतान होने से एकमात्र अधिकारी हैं इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादी अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहा है।

15. उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि वादी शंकरपुरी नाथुपुरी की जायंदा संतान नहीं होकर राधाबाई के पूर्व पति शिशवी निवासी देवगिरी की संतान थी। जबकि उक्त भूमि मावली में स्थित होकर नाथूपुरी की पैतृक भूमि हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत गैलड संतान को किसी प्रकार का हक नहीं है, एवं लिखापढी 19.10.1953 के आधार पर भी वादी ने किसी प्रकार की घोषणा नहीं चाही है। जबकि प्रतिवादी जीवनपुरी नाथुपुरी की जायंदा संतान होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत एक मात्र वारिस है।

16. इस सम्बन्ध में प्रतिवादी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का दृष्टांत (1) RLW 2005(1) RJ page 503 Gyarsiram & ors vs shreelal & ors. माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि – Hindu Succession Act, 1956, Sec. 8(a) and 3(h)(II); Rajasthan Tenancy Act, 1955, Sec. 88, 89 and 53- Difference in right of legitimate son and ' Galad son' (the son of her previous husband to whom she takes to second husband) – galad son's rights in the ancestral property of the second husband – Held – 'Galad' son is not heir u/S. 8(a) and 3(h)(II) – only legitimate persons are consideredas related - On the basis of sucession, right accrue to the legitimate sons only – khatedari rights cannot be declared on the basis of entries in jamabandi. उक्त नजीर में भी न्यायालय ने गैलड पुत्र को उत्तराधिकार के आधार पर खातेदार नहीं माना है।

(2)इसी प्रकार नजीर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर दृष्टांत RLW 2009(2) page 912, Gopal & ors. Vs shuolal (Deceased) throught L.Rs. & Anr. मे माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि – Rajasthan Tenancy Act, 1955, Sec.88; Evidence Act, 1872, Sec. 90- Right from inheritance to a ' Galad ' daughter (daughter from a Nata Mother and former father)- Held – Galad daughters /son has no legal right / tital in the property – The deceased khatedar executed adoption deed/will in favour of the respondent witch has been substantiated by attesting evidence- This document was in proper custody of respondent and he himself produced it before trial Court – Concurrent finding of the Courts below – warrants no interference . Appeal dismissed. उक्त नजीर में भी न्यायालय ने गैलड पुत्र/पुत्री को सम्पति में कोई विधिक अधिकार/स्वत्व प्राप्त नहीं होना माना है।

(3) इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का दृष्टांत *RRT 2003 page 633, RRT 2003(1) page 23 Gokul chand &Ors. Vs Ram sahay & Anr.* मे माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि – Code of civil procedure , 1908- Order 7, Rule 11- S.D.O rejected the Application – Plaint can be

rejected before filling of written statement – Khatedar tenant is only entitled to get relief under. Sec. 188, Rajasthan Tenancy Act- Person holding ikrarnama in not entitled to any relief under Section 188- Aggrieved person has right to file civil suit for specific performance of ikrarnama- Order is illegal and set aside and suit dismissed. उक्त नजीर में भी न्यायालय ने ईकरारनामा धारी व्यवक्ति को धारा 188 के तहत अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना है।

17. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के उक्त दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते है क्योंकि प्रकरण में वादी गैलड पुत्र है जो कि गवाह साक्ष्य से साबित है एवं जिस दस्तावेज के आधार पर वह जमाबन्दी में नाम दर्ज हुआ है वह दस्तावेज लिखापढी होकर नाथुपुरी द्वारा लिखा गया है अतः गैलड पुत्र होने एवं लिखापढी के आधार पर बंटवाडा चाहा गया है जिससे उक्त नजीरे इस प्रकरण में चस्पा होती है।

18. इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी के साक्ष्य सबूत एवं तनकीयों के विवेचन से यह सिद्ध हुआ है कि वादी शंकरपुरी गैलड पुत्र है एवं प्रतिवादी जीवनपुरी नाथूपुरी का जायंदा पुत्र है, तथा माननीय न्यायालयों के दृष्टांतो से भी स्पष्ट है कि गैलड पुत्र को पैतृक भूमि में खातेदार नही माना है एवं जिस लिखा पढी के आधार पर वह खातेदार बना है एवं जमाबन्दी में इन्द्राज के वह खातेदार है उक्त इन्द्राज को प्रतिवादी ने ऐतराज जाहिर कर घोषणा का प्रतिवाद प्रस्तुत किया है अतः जमाबन्दी की प्रविष्टि को चैलेन्ज करने पर उक्त प्रविष्टि संदिग्ध होने पर उक्त प्रविष्टि के आधार पर वादी को बंटवाडे की दाद नहीं दी जा सकती हैं एवं प्रथम तनकी भी वादी अपने पक्ष में साबित कराने मे असफल रहा है। इस आधार पर वादी का वाद स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। चूकि प्रकरण में प्रतिवादी जीवनपुरी द्वारा अपनी पैतृक भूमि में नाथूपुरी का जांयदा पुत्र होने से काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी शंकरपुरी जीवनपुरी का जायंदा पुत्र नहीं होने से गलती से उसका नाम जमाबन्दी में दर्ज करा लिया गया है जिसे हटाकर सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम पर पुनः दर्ज कराने का प्रस्तुत किया है जो दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर एवं तनकी नम्बर 2 से सिद्ध किया जा चुका हैं अतः प्रतिवादी का प्रतिवाद काउण्टर क्लेम न्याय हित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जता है एवं प्रतिवादी सं. 1 का काउण्टर क्लेम प्रतिवाद को स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार मण्डल मावली तहसील मावली के आ.न. 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 2499, 4099/579 किता 11 रकबा 27 बीघा 11 भूमि में वादीगण के बजाय सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादी सं 1 जीवनपुरी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री शंकरपुरी पिता नाथुपुरी गुसाई निवासी मावली तह. मावली। **(मृतक)**

1/1 श्री लक्ष्मणपुरी पिता शंकरपुरी गुसाई निवासी मावली तह. मावली।

1/2 श्री इन्दरपुरी पिता शंकरपुरी गुसाई निवासी मावली तह. मावली।

1/3 श्रीमती कमला पुत्री शंकरपुरी गुसाई पत्नी रूपपुरी गुसाई निवासी मावली तह. मावली।

1/4 श्रीमती मोहनी पुत्री शंकरपुरी पत्नी रामगिरी गुसाई निवासी सरेमगरी तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

1/5 श्रीमती भूरी पुत्री शंकरपुरी पत्नी बाबूगिरी गुसाई निवासी सरेमगरी तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

1/6 श्रीमती श्यामु पुत्री शंकरपुरी पत्नी धुलगिरी गुसाई निवासी खमनोर की खेडी तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

1/7 श्रीमती चांदीबाई पत्नी शंकरपुरी गुसाई निवासी मावली तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री जीवनपुरी पिता नाथूपुरी गुसाई निवासी मावली तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 117/10 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जता है एवं प्रतिवादी सं. 1 का काउण्टर क्लेम प्रतिवाद को स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार मण्डल मावली तहसील मावली के आ.न. 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 2499, 4099/579 किता 11 रकबा 27 बीघा 11 भूमि में वादीगण के बजाय सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादी सं 1 जीवनपुरी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.10.2017 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली